गोपनीय

अर्धशासकीय पत्र संख्या-1074/उन्तालिस§2§
12§5§/74
सतर्कता अनुभाग-2
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ: दिनांक: 3 अप्रैल, 1992

डा0 वी0के0 सक्सेना,
मुख्य सचिव ।

प्रिय महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं मेरे अर्धशासकीय पत्र संख्या-1323/उन्तालिस§2§-12§5§/74, दिनांक 18-5-91 §सुलभ संदर्भ हेतु प्रतिलिपि संलग्न है§ में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रशासकीय विभागों द्वारा यदि किसी मामले में सतर्कता जाँच कराये जाने का औचित्य पाया जाता है तो वे अपना प्रस्ताव "राज्य सतर्कता समिति" को भेजेगें । मेरे पत्र में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि मामला "राज्य सतर्कता समिति" के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के पूर्व वे स्वयं अपने प्रभारी मंत्री जी का अनुमोदन नहीं प्राप्त करेगें । खेद है कि इन आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं जिनमें सीधे सतर्कता जाँच कराये जाने के लिये प्रभारी मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है ।

2- इसी प्रकार जब सतर्कता विभाग सतर्कता जाँच के उपरान्त किसी मामले में कार्यवाही की संस्तुति करते हैं तो सतर्कता विभाग की संस्तुति से भिन्न कार्यवाही किये जाने के पूर्व मामला "राज्य सतर्कता समिति" के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का प्राविधान मेरे उक्त दिनांक 18-5-91 के पत्र में किया गया है । ऐसा देखा जा रहा है कि कतिपय विभागों द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन न करके भिन्न कार्यवाही स्वयं कर ली गई । जब इस प्रकार के मामले सतर्कता विभाग के संज्ञान में आते हैं तो विकल्प हीनता की स्थिति में यथास्थिति स्वीकार करने पर सतर्कता विभाग को बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि अपचारी कर्मचारी को या तो दोष मुक्त किया जा चुका होता है या सतर्कता विभाग की संस्तुति से भिन्न दण्ड दिया जा चुका होता है ।

3- निर्धारित विहित प्रक्रिया के उल्लंघन तथा मा0 मंत्रीगण/मा0 मुख्य मंत्री जी के समक्ष पूर्ण स्थिति प्रस्तुत न होने के कारण बाद में कठिनाईयाँ उत्पन्न हो सकती हैं । इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह

कहने की अपेक्षा की गई है कि किसी मामले में सतर्कता जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में तथा सतर्कता जाँच के उपरान्त सतर्कता विभाग की संस्तुति से भिन्न कार्यवाही किये जाने का निर्णय लेने के पूर्व "राज्य सतर्कता समिति" को मामला संदर्भित किया जाना अनिवार्य है ताकि विहित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही होने के पश्चात माननीय मंत्रीगण/माननीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष अन्तिम निर्णय लेने के पूर्व सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो सके ।

4- कृपया इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें । इसमें आपका पूर्ण सहयोग अपेक्षित है तथा इसके विपरीत कार्यवाही होने को शासन गम्भीरता से देखेगा ।

भवदीय

(डा0 वी0के0 सक्सेना)

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/
विशेष सचिव (नाम से)

पृष्ठांकन सं0-1074(1)/उन्तालिस(2)-12(5)/74, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से

(विनोद कुमार सिन्हा)
अनु सचिव ।